नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बुद्वाराम वगैरा बनाम राज लक्ष्मी इस्ट्रस्टीज धारा 136 प्रकरण सख्या 119 / 2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/4/2022	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 119 / 2021 बुद्वाराम वगैरा बनाम राज लक्ष्मी इस्ट्रस्टीज अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम सरेचा तहसील लुणी के खसरा नम्बर 41 से 46 एव 48 कुल खसरे 8 कुल रकबा 91.11 बीधा ग्राम सरेचा मे रूधीया वल्द भबूता का नाम प्रार्थीगण के जरिये पुर्नस्थपित किये जाने व अप्रार्थी सख्या 01 का नाम विलोपित किये जाने का निवेदन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जिसमे तहसीदार लूणी से जबाव / मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई तहसीलदार लूणी के पत्र क्रमाक / भू.अ / 2022 / 1839 दिनाक 18.04. 2022 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार द्वारा वक्त बदोबस्त ग्राम सरेचा के खसरा नम्बर 41 से 46 एव 48 मे रूधीया वल्द भबूता के नाम दर्ज है जमाबन्दी सवत 2071—74 मे इन्दजा नामान्तरकरण सख्या 1183 जरिये बेचान से खसरा नम्बर 34 / 1, 41 से 46 एव 48 रकबा 41.01 बीधा अप्राथी सख्या 01 के नाम दर्ज हुआ के द्वारा अमलदरामद होने से रेकार्ड दुरूस्ती नही किया जाने की अनुशाषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई तथा इन तमाम परिस्थितियो मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नही होता है। अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता हैं प्रकरण 136 के तहत रेकर्ड दुरूस्ती का नही बनता प्रकरण खरिज योग्य है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	